

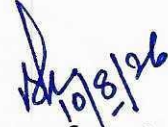
बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

अधिवक्ताओं का एक अस्थाई पैनल निर्माण संबंधी सूचना

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के न्यायिक मामलों में प्रतिशपथ-पत्र इत्यादि तैयार करने हेतु अधिवक्ताओं का एक पैनल निर्माण किया जाना है। उक्त कार्य हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक अधिवक्ता वांछित सूचना एवं आवेदन विभाग के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/yesd/CitizenHome.html> से डाउनलोड कर सकते हैं।

भरा हुआ आवेदन-पत्र स्पीड-पोस्ट/हाथों-हाथ दिनांक-01.09.2026 के अपराह्न 3:00 बजे तक विशेष कार्य पदाधिकारी, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, नियोजन भवन, चौथा तल, विंग 'ए' (आयकर गोलम्बर के निकट) नेहरू पथ, पटना, पिन कोड-800001 के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।



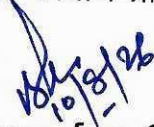
(विशेष कार्य पदाधिकारी)

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक- 06/युवा(विधि) -32/2026- 985

पटना, दिनांक- 11/08/26

प्रतिलिपि- श्री सुनील कुमार, सहायक निदेशक प्रावै० शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



विशेष कार्य पदाधिकारी

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
सूचना

1. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3727 दिनांक-30.04.2009 के आलोक में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग से संबंधित विभिन्न न्यायिक वादों में सरकार की ओर से ससमय प्रतिउत्तर समर्पित करने के लिए विभाग की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु सेवा संबंधी मामलों का अनुभव रखने वाले एवं अंग्रेजी भाषा के जानकार तथा जिला न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय में न्यूनतम तीन वर्ष प्रैक्टिस का अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं का एक अस्थाई पैनल बनाने का निर्णय लिया गया है।
2. उक्त पैनल हेतु प्राप्त आवेदनों के समीक्षोपरांत पैनल के निर्माण हेतु विभाग स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा आवेदकों का साक्षात्कार एवं तथ्य विवरणी तैयार किये जाने एवं उनके कार्य अनुभव की समीक्षा करते हुए पैनल निर्माण हेतु अनुशंसित किया जाएगा।
3. पैनल में सूचीबद्ध विद्वान अधिवक्ताओं को न्यायिक वादों की तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु याचिका की प्रति/संचिका एवं आवश्यक कागजात सम्बद्ध प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
4. पैनल में सूचीबद्ध विद्वान अधिवक्ता से यह अपेक्षा होगी कि सम्बद्ध प्रशाखा से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु आवश्यक कागजात प्राप्त कर तथ्य विवरणी तैयार करेंगे।
5. कतिपय मामलों में अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न होने पर शीघ्र तथ्य विवरणी बनाये जाने की अपेक्षा की जा सकेगी।
6. नये तैयार पैनल के किसी भी विद्वान अधिवक्ता का कार्य संतोषप्रद नहीं रहने की स्थिति में बिना कारण बताये सूची से विलोपित करने अथवा पूरी सूची भंग करने की पूर्ण शक्ति प्रशासी विभाग के पास सुरक्षित रहेगी। तथ्य विवरणी (SOF) तैयार करने हेतु अधिवक्ताओं का नया पैनल गठित किये जाने की तिथि से पूर्व में गठित अधिवक्ताओं का पैनल स्वतः निरस्त माना जायेगा।
7. सूचीबद्ध विद्वान अधिवक्ता द्वारा तैयार की गयी तथ्य विवरणी के अनुमोदित होने के पश्चात् प्रति तथ्य विवरणी पारिश्रमिक का भुगतान वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3882 दिनांक-03.05.2023 के आलोक में प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु रु 2000/- (दो हजार रुपये) मात्र तथा तथ्य विवरणी प्रारूप की प्रति अंग्रेजी में टंकण हेतु रु 500/- (पाँच सौ रुपये) मात्र देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का शुल्क/पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
8. तथ्य विवरणी तैयार कराने हेतु विभाग के स्तर पर तैयार किये जाने वाले पैनल में अधिवक्ताओं की संख्या निर्धारित करने का अधिकार युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के पास सुरक्षित रहेगा।

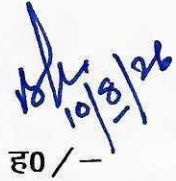
9. कतिपय मामलों में जरूरत पड़ने पर प्रशासी विभाग पैनल में सूचीबद्ध अधिवक्ता से इतर भी अन्य किसी अधिवक्ता से तथ्य विवरणी तैयार करवाने का कार्य ले सकेगा।

10. प्रशासी विभाग पैनल में सूचीबद्ध किसी भी अधिवक्ता से आवश्यकतानुसार कार्य लेने में स्वतंत्र होगा। केवल पैनल में सूचीबद्धता किसी अधिवक्ता को कोई विशेषाधिकार नहीं प्रदान करेगी।

11. इस हेतु प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इच्छुक, सेवा संबंधी आदि मामलों का अनुभव रखने वाले एवं अंग्रेजी के जानकार अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

12. इच्छुक अधिवक्ताओं से प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से दिनांक-31.08.2026 (5:00 बजे अपराह्न) तक सेवा संबंधी मामलों में कार्य अनुभव से संबंधित अभिलेख के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, A ब्लॉक, चतुर्थ तल, नियोजन भवन, नेहरू पथ, पटना-800001 में प्राप्त हो जाना चाहिए।

13. विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रपत्र के लिए <https://state.bihar.gov.in/yesd> पर देखा जा सकता है।


10/8/26

ह0/-

(ब्रज किशोर लाल)
विशेष कार्य पदाधिकारी

आवेदन पत्र का प्रपत्र

- (1.) आवेदक का नाम :-
- (2.) पिता/पति का नाम :-
- (3.) पत्राचार का पता :-
- (4.) जन्म तिथि :-
- (5.) शैक्षणिक योग्यता :-

क्र० सं०	वर्ष	उत्तीर्ण वर्ष	अंक
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

- (6.) माननीय उच्च न्यायालय में निबंधन संख्या/वर्ष :-
- (7.) अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव :-
- (8.) कोई अपराधिक मुकदमा में दंडित नहीं होने का घोषणा पत्र:-
- (9.) आवेदन का मोबाईल नं० :-
- (10.) आधार कार्ड नं० :-

स्थान:-.....

दिनांक:-.....

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदन कर्ता का शपथ पत्र

मैं

पिता/पति

पता

प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सही एवं सत्य है।

आवेदक का हस्ताक्षर